

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने पर दण्ड के नियम ( दण्ड सारणी )

संशोधित (2009-10)

क्र सं	अनुचित साधन का प्रकार	अनुचित साधन अपनाये जाने/करने पर दण्ड जो दिया जावेगा		
		वार्षिक पद्धति के पाठ्यक्रम	एम.ई.सी.एस. के पाठ्यक्रम	सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रम
1	<p>1.1 परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अथवा परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्र में निरीक्षक/परीक्षा केन्द्र अधीक्षक /अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों की (मौखिक अथवा लिखित) पालना नहीं करता है।</p> <p>1.2 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के पीछे दिये गये निर्देशों एवं उतर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के आगे या पीछे दिये गये निर्देशों की पालना नहीं करता है।</p> <p>1.3 परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा के समय परीक्षा कक्ष या परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्र ( संस्थान ) में किसी अन्य परीक्षार्थी/व्यक्ति से बातचीत अथवा संकेत करता है।</p> <p>1.4 परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में अपना नाम, पता या अन्य किसी प्रकार की पहचान अंकित करता है।</p> <p>1.5 किसी परीक्षार्थी का प्रश्न पत्र जिस पर रोल नम्बर/ नाम अंकित है किसी अन्य परीक्षार्थी के पास पाया जाता है।</p>	<p>1(अ) परीक्षा में 1.1 से 1.4 तक के अनुचित साधन परीक्षार्थी द्वारा अपनाने की स्थिति में परीक्षार्थी ने जिस दिन की परीक्षा में अनुचित साधन अपनाया है उस परीक्षा के उस दिन की उस पारी के प्रश्न पत्र की परीक्षा रद्द की जावेगी।</p> <p>1.(c) परीक्षा में 1.5 का अनुचित साधन अपनाने की स्थिति में दोनों परीक्षार्थियों को दण्ड श्रेणी में माना जावेगा और दोनों परीक्षार्थियों के उस दिन की उस पारी के प्रश्न पत्र की परीक्षा रद्द की जावेगी।</p>	<p>1(अ) परीक्षा में 1.1 से 1.4 तक के अनुचित साधन परीक्षार्थी द्वारा अपनाने की स्थिति में परीक्षार्थी ने जिस दिन की परीक्षा में अनुचित साधन अपनाया है उस परीक्षा के उस दिन की उस पारी के प्रश्न पत्र की परीक्षा रद्द की जावेगी।</p> <p>1.(c) परीक्षा में 1.5 का अनुचित साधन अपनाने की स्थिति में दोनों परीक्षार्थियों को दण्ड श्रेणी में माना जावेगा और दोनों परीक्षार्थियों के उस दिन की उस पारी के प्रश्न पत्र की परीक्षा रद्द की जावेगी।</p>	<p>1(अ) परीक्षा में 1.1 से 1.4 तक के अनुचित साधन परीक्षार्थी द्वारा अपनाने की स्थिति में परीक्षार्थी ने जिस दिन की परीक्षा में अनुचित साधन अपनाया है उस परीक्षा के उस दिन की उस पारी के प्रश्न पत्र की परीक्षा रद्द की जावेगी।</p> <p>1.(c) परीक्षा में 1.5 का अनुचित साधन अपनाने की स्थिति में दोनों परीक्षार्थियों को दण्ड श्रेणी में माना जावेगा और दोनों परीक्षार्थियों के उस दिन की उस पारी के प्रश्न पत्र की परीक्षा रद्द की जावेगी।</p>

क्र सं	अनुचित साधन का प्रकार	अनुचित साधन अपनाये जाने/ करने पर दण्ड जो दिया जावेगा		
		वार्षिक पद्धति के पाठ्यक्रम	एम.ई.सी.एस. के पाठ्यक्रम	सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रम
2 <sup>प</sup>	<p>2.1 यदि परीक्षार्थी से पकड़े गये अनुचित साधन का उस दिन के प्रश्न पत्र के विषय से सीधा सम्बन्ध है,</p> <p>2.2 परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों द्वारा उतर पुस्तिका या उसके किसी भाग या अन्य सामग्री का आदान प्रदान करते हुए पाया ।</p> <p>2.3 परीक्षक द्वारा परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में अनुचित साधन अपनाने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात जांच करने पर पुष्टि होती है । ”</p> <p>2.4 यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों के उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर परीक्षा केन्द्र अधीक्षक द्वारा भरवाये जाने वाले प्रपत्रों को भरने से या हस्ताक्षर करने से इंकार करता है ।</p>	<p>परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने की स्थिति में परीक्षार्थी की उस वर्ष की वर्तमान/ भविष्य की सभी मुख्य व अन्य सभी परीक्षाओं के थ्योरी व प्रेक्टिकल विषयों की सम्पूर्ण परीक्षा (जिसमें वह बैठा है/ बैठेगा ) को रद्द किया जावेगा । वह उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जावेगा भले ही यह परीक्षा में बैठने का अन्तिम अवसर हो व उसे कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा ।</p>	<p>परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने की स्थिति में परीक्षार्थी की उस टर्म की वर्तमान/ भविष्य की सभी परीक्षाओं के थ्योरी व प्रेक्टिकल विषयों की सम्पूर्ण परीक्षा (जिसमें वह बैठा है/ बैठेगा ) को रद्द किया जावेगा । वह उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जावेगा भले ही यह परीक्षा में बैठने का अन्तिम अवसर हो व उसे कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा ।</p>	<p>परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने की स्थिति में परीक्षार्थी की उस सेमेस्टर की वर्तमान/भविष्य की सभी मुख्य व अन्य सभी परीक्षाओं के थ्योरी व प्रेक्टिकल विषयों की सम्पूर्ण परीक्षा(जिसमें वह बैठा है/ बैठेगा) को रद्द कर दिया जावेगा । वह उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जावेगा भले ही यह परीक्षा में बैठने का अन्तिम अवसर हो व उसे कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा ।</p>
3.	<p>3.1 यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से उतर पुस्तिका या उसका भाग छीनने का प्रयास करता है तथा स्वयं की या अन्य किसी परीक्षार्थी की उतर पुस्तिका फाड़ देता है ।</p> <p>3.2 यदि कोई परीक्षार्थी दूसरे परीक्षार्थियों को परीक्षा के बहिष्कार करने के लिये उकसाता है ।</p> <p>3.3 निरीक्षक/परीक्षा केन्द्र अधीक्षक/अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन का उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर यदि परीक्षार्थी अनुचित सामग्री को नष्ट करने का प्रयास करता है ।</p> <p>3.4 यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में स्वयं की या अन्य किसी परीक्षार्थी की उतर पुस्तिका बाहर ले जाता है ।</p>	<p>परीक्षार्थी परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने की स्थिति में परीक्षार्थी की उस वर्ष की वर्तमान व भविष्य की समस्त मुख्य एवं अन्य सभी थ्योरी एवं प्रेक्टिकल की परीक्षाओं (जिसमें वह बैठा है/बैठेगा) को रद्द किया जावेगा तथा परीक्षार्थी को उसके बाद के एक अतिरिक्त वर्ष तक सभी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जावेगा । वंचित अवधि में परीक्षार्थी किसी भी संस्थान में पढाई नहीं कर सकेगा । यदि परीक्षार्थी का उस परीक्षा में बैठने का अन्तिम अवसर था तो भी उसको कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा ।</p>	<p>परीक्षार्थी परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने की स्थिति में परीक्षार्थी की उस टर्म की वर्तमान व भविष्य की समस्त मुख्य एवं अन्य सभी थ्योरी एवं प्रेक्टिकल की परीक्षाओं ( जिसमें वह बैठा है/बैठेगा ) को रद्द किया जावेगा तथा परीक्षार्थी को उसके बाद के दो अतिरिक्त टर्म तक सभी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जावेगा । वंचित अवधि में परीक्षार्थी किसी भी संस्थान में पढाई नहीं कर सकेगा । यदि परीक्षार्थी का उस परीक्षा में बैठने का अन्तिम अवसर था तो भी उसको कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा ।</p>	<p>परीक्षार्थी परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने की स्थिति में परीक्षार्थी की उस सेमेस्टर की वर्तमान व भविष्य की समस्त मुख्य एवं अन्य सभी थ्योरी एवं प्रेक्टिकल की परीक्षाओं (जिसमें वह बैठा है/बैठेगा) को रद्द किया जावेगा तथा परीक्षार्थी को उसके बाद के दो अतिरिक्त सिमेस्टर तक किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जावेगा । वंचित अवधि में परीक्षार्थी किसी भी संस्थान में पढाई नहीं कर सकेगा । यदि परीक्षार्थी का उस परीक्षा में बैठने का अन्तिम अवसर था तो भी उसको कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा ।</p>

क्र सं	अनुचित साधन का प्रकार	अनुचित साधन अपनाये जाने/करने पर दण्ड जो दिया जावेगा		
		वार्षिक पद्धति के पाठ्यक्रम	एम.ई.सी.एस. के पाठ्यक्रम	सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रम
4.	यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष तथा संस्था परिसर में नकल करने के उद्देश्य से निरीक्षक/परीक्षा केन्द्र अधीक्षक/अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक/अन्य किसी भी व्यक्ति जो परीक्षा कार्य से सम्बन्धित है के साथ परीक्षा के दौरान/परीक्षा की पहली पारी व दूसरी पारी के मध्य/दोनों पारी की परीक्षा समाप्ति पश्चात परीक्षा कक्ष तथा संस्था परिसर में दंगा फसाद या उत्पात करता है, या हाथा पाई मारपीट करता है या उसमें सम्मिलित होता है या किसी प्रकार का घातक हथियार अपने पास रखता है।	परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने की स्थिति में परीक्षार्थी की उस वर्ष की वर्तमान व भविष्य की समस्त मुख्य एवं अन्य सभी थ्योरी एवं प्रेक्टिकल की परीक्षाओं ( जिसमें वह बैठा है /बैटेगा ) को रद्द किया जावेगा तथा परीक्षार्थी को उसके बाद के दो अतिरिक्त वर्ष तक किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जावेगा। वंचित अवधि में परीक्षार्थी किसी भी संस्थान में पढाई नहीं कर सकेगा। यदि परीक्षार्थी का उस परीक्षा में बैठने का अन्तिम अवसर था तो भी उसको कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।	परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने की स्थिति में उसकी उस टर्म की वर्तमान व भविष्य की समस्त मुख्य एवं अन्य सभी थ्योरी एवं प्रेक्टिकल की परीक्षाओं ( जिसमें वह बैठा है /बैटेगा ) को रद्द किया जावेगा तथा परीक्षार्थी को उसके बाद के चार अतिरिक्त टर्म तक सभी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जावेगा। वंचित अवधि में परीक्षार्थी किसी भी संस्थान में पढाई नहीं कर सकेगा। यदि परीक्षार्थी का उस परीक्षा में बैठने का अन्तिम अवसर था तो भी उसको कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।	परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने की स्थिति में उसकी उस सिमेस्टर की वर्तमान व भविष्य की समस्त मुख्य एवं अन्य सभी थ्योरी एवं प्रेक्टिकल की परीक्षाओं ( जिसमें वह बैठा है /बैटेगा ) को रद्द किया जावेगा तथा परीक्षार्थी को उसके बाद के चार अतिरिक्त सिमेस्टर तक सभी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जावेगा। वंचित अवधि में परीक्षार्थी किसी भी संस्थान में पढाई नहीं कर सकेगा। यदि परीक्षार्थी का उस परीक्षा में बैठने का अन्तिम अवसर था तो भी उसको कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।

विशेष विवरण :-

1. अनुचित साधन वे समस्त साधन है जिनका उपयोग परीक्षार्थी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परीक्षा में नकल करने के उद्देश्य से करता है या करने की संभावना हो सकती है।
2. जिन अनुचित साधनों का प्रमाण संलग्न नहीं किया जा सकता है उसके लिये निरीक्षक/परीक्षा अधीक्षक/अतिरिक्त परीक्षा अधीक्षक/वीक्षक की लिखित रिपोर्ट पर विचार कर निर्णय लिया जावेगा।
3. आवश्यकता पडने पर उपरोक्त नियमों के अलावा अपराधिक कार्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्यवाही परीक्षा केन्द्र अधीक्षक द्वारा की जायेगी।
4. उपरोक्त नियमों व दण्ड सारणी के दायरे में नहीं आने वाले मामलों में परीक्षा परिणाम समिति को दण्ड देने का अधिकार होगा।
5. पूर्ण परीक्षा/परीक्षाओं से तात्पर्य सभी कक्षाओं की मुख्य, डंपदद्ध व पूरक (Supplimentary) परीक्षा से है जो वर्तमान वर्ष/टर्म/सिमेस्टर में परीक्षार्थी ने दी है।
6. दण्ड स्वरूप वंचित अवधि का समावेश उसके चैक पाइन्ट के नियम की गणना में भी सम्मिलित होगा।
7. परीक्षार्थी से पकड़े गये अनुचित साधन का उस दिन के प्रश्न पत्र के विषय से सीधा सम्बन्ध नहीं होने पर छात्र को कोई दण्ड देय नहीं होगा।
8. यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष तथा संस्था परिसर में निरीक्षक/उडन उस्ते के सदस्य/परीक्षा केन्द्र अधीक्षक/अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक/अन्य किसी भी व्यक्ति जो परीक्षा कार्य से संबंधित है को परीक्षा के दौरान/परीक्षा की पहली पारी व दूसरी पारी के मध्य/दोनों पारी की परीक्षा समाप्ति पश्चात परीक्षा कक्ष अथवा संस्था परिसर में डराता/धमकाता है अथवा अनुचित दबाव डालता है/अन्य व्यक्ति से डलवाता है तो उसके लिए वीक्षक/परीक्षा अधीक्षक/अतिरिक्त परीक्षा अधीक्षक/निरीक्षक/उडन दस्ते के सदस्य की लिखित रिपोर्ट पर परीक्षा परिणाम समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

“अनुचित साधन का प्रकार के क्रम संख्या 2 भाग 2.3ए परीक्षक द्वारा परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों के संबंध में अनुचित साधन अपनाये जाने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात, अपनाई जाने वाली जांच प्रक्रिया एवं पुष्टी हेतु, सचिव, प्राविधिक शिक्षा मंडल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा निम्नानुसार दो सदस्यों (परीक्षक नहीं होना चाहिये) की एक समिति का गठन करेंगे :-

1. उप निदेशक/प्रधानाचार्य
2. विषय विशेषज्ञ जो विभागाध्यक्ष अथवा वरिष्ठ प्रवक्ता स्तर का हो। महिला पोलिटेकनिक अथवा अन्य में यदि विभागाध्यक्ष अथवा वरिष्ठ प्रवक्ता स्तर का उपलब्ध नहीं हो तो वरिष्ठतम प्रवक्ता को भी सदस्य बनाया जा सकता है।

इस समिति की राय तथा परीक्षक की राय को आगामी होने वाली परीक्षा परिणाम समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा।

नोट :-विषय परिस्थितियों में इंजिनियरिंग कालेज अथवा अन्य संस्थानों, कार्यालयों व अन्य स्थानों (FIELD) के विशेषज्ञ को भी सदस्य बनाया जा सकेगा।

दण्ड के नियम (दण्ड सारणी) सत्र 2009-2010 से प्रभावी होंगे।